20 9/23

वाद-वाद श्रवण किया गया। अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता उप० नगरी, एवं अधि० अपीलार्थी श्रवण करायी व पक्षकारों में समझौता की नहीं हो सकती मुख्य कारण के कारण कि मामले एक बहु वर्षीय लम्बित वाद है। इसलिए सुनवाई समाप्त।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)